

पत्रांक- 15/जी 1-01/2017

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,

उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेतर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु वेतनादि मद में (जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के वेतनादि मद को छोड़कर) रुपये 286,97,89,627/- (दो सौ छियासी करोड़ संतानवे लाख नवासी हजार छः सौ सताईस) मात्र एवं नियमित सेवान्त लाभ/बकाया सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु गैर-वेतनादि मद में रुपये 482,84,57,299/- (चार सौ बयासी करोड़ चौरासी लाख संतावन हजार दो सौ निन्यानवे) मात्र अर्थात् कुल 769,82,46,926/- (सात सौ उन्हत्तर करोड़ बयासी लाख छियालीस हजार नौ सौ छब्बीस) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों/घाटानुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षकेतर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों जो, विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत हैं, के वेतनादि मद में (जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को छोड़कर) भुगतान हेतु रुपये 286,97,89,627/- (दो सौ छियासी करोड़ संतानवे लाख नवासी हजार छः सौ सताईस) मात्र का व्यय विषय शीर्ष-31.04-सहायक अनुदान वेतन से तथा राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों से विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक/शिक्षकेतर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के नियमित सेवान्त लाभ के मद में भुगतान हेतु रुपये 390,63,07,562/- (तीन सौ नब्बे करोड़ तिरसठ लाख सात हजार पाँच सौ बासठ) मात्र तथा बकाया सेवान्त लाभ के मद में भुगतान हेतु रु 92,21,49,737/- (बयानबे करोड़ इक्कीस लाख उनचास हजार सात सौ सैतीस) मात्र अर्थात् गैर-वेतनादि मद में भुगतान हेतु रुपये 482,84,57,299/- (चार सौ बयासी करोड़ चौरासी लाख संतावन हजार दो सौ निन्यानवे) मात्र का व्यय विषय शीर्ष-31.06-सहायक

प-2018

अनुदान गैर-वेतनादि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से करने की स्वीकृति निम्नवत दी जाती है:-

(राशि रुपये में)

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	वेतनादि मद में दी जाने वाली राशि	नियमित सेवाएं लाभ के मद में दी जाने वाली राशि	बकाया सेवाएं लाभ के मद में दी जाने वाली राशि	गैरवेतनादि मद में दी जाने वाली कुल राशि (स्तम्भ 4 + 5)	कुल राशि (स्तम्भ 3 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना विश्वविद्यालय, पटना	360601280 (माह अक्टुबर 17 से फरवरी 18 तक)	293886452 (माह अक्टुबर 17 से फरवरी 18 तक)	0	293886452	654487732
2	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	675901950 (माह अक्टुबर 17 से नवम्बर 17 तक)	911274652 (माह अक्टुबर 17 से फरवरी 18 तक)	435661073	1346935725	2022837675
3	बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	622561544 (माह अक्टुबर 17 से जनवरी 18 तक)	651892515 (माह अक्टुबर 17 से दिसम्बर 17 तक)	175923022	827815537	1450377081
4	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	93739907 (माह अक्टुबर 17)	352198339 (माह अक्टुबर 17 से जनवरी 18 तक)	47532262	399730601	493470508
5	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	0	284132927 (माह अक्टुबर 17 से फरवरी 18 तक)	55559976	339692903	339692903
6	बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	242039634 (माह अक्टुबर 17 से नवम्बर 17 तक)	272241933 (माह अक्टुबर 17 से दिसम्बर 17 तक)	80700234	352942167	594981801
7	तिलका माझी विश्वविद्यालय, भागलपुर	0	612508893 (माह अक्टुबर 17 से फरवरी 18 तक)	0	612508893	612508893
8	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	820977935 (माह अक्टुबर 17 से फरवरी 18 तक)	450000000 (माह अक्टुबर 17 से दिसम्बर 17 तक)	119816352	569816352	1390794287
9	के०एस०डी०एस० विश्वविद्यालय, दरभंगा	44832127 (माह अक्टुबर 17)	78171851 (माह अक्टुबर 17 से जनवरी 18 तक)	6956818	85128669	129960796
10	मीलना मजहबूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना	9135250 (माह अक्टुबर 17 से फरवरी 18 तक)	0	0	0	9135250
कुल राशि		2869789627	3906307562	922149737	4828457299	7698246826

2. स्वीकृत राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष 102-विश्वविद्यालयों को सहायता, माँग संख्या 21-0001 पटना विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 21-2202.03.102.0001.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0001.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0002 मगध विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 21-2202.03.102.0002.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0002.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0003-बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर (बिहार विश्वविद्यालय), विपत्र कोड 21-2202.03.102.0003.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0003.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0004-जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, विपत्र कोड 21-2202.03.102.0004.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0004.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0005-वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा विपत्र कोड- 21-2202.03.102.0005.31.04

ल. ओमि

PC

सहायक अनुदान वेतन तथा 0005.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0008-बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, विपत्र कोड - 21-2202.03.102.0008.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0008.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0009-भागलपुर विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 21-2202.03.102.0009.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0009.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0011-ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, विपत्र कोड- 21-2202.03.102.0011.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0011.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0012-कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, विपत्र कोड- 21-2202.03.102.0012.31.04 सहायक अनुदान वेतन तथा 0012.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, 0016-मौलाना मजहरुल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय विपत्र कोड- 21-2202.03.102.0016.31.04 सहायक अनुदान वेतन के अन्तर्गत होगा।

3. वर्तमान में स्वीकृत राशि से राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतनादि मद में राशि का भुगतान निम्नांकित शर्तों एवं बंधनों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा :-

(i) वेतनादि/पेंशनादि/सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान वैसे ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को किया जायगा, जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से नियुक्त अथवा सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्वीकृत पदों के विरुद्ध भुगतान अनुमान्य है।

(ii) दिनांक-01.01.1996 के बाद तथा दिनांक-19.04.2007 के पूर्व जिन शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है, उनकी प्रोन्नति में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 58(10) के आलोक में आयोग की सहमति तथा 20.04.2007 से विश्वविद्यालय चयन समिति का अनुमोदन संबंधित परिनियमों में विहित प्रावधानों तथा विभागीय पत्रों के अधीन प्राप्त है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत की जाने वाली राशि से जिन शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का भुगतान किया जाएगा, उनके वेतनादि/पेंशनादि एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ की अनुमान्यता का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-35 की उप धारा-(2) एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-35 की उपधारा (2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया जायगा, जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है।

(iv) शिक्षकों के वेतनादि का भुगतान राज्य सरकार के पत्र-2374 दिनांक-29.07.2010 की कंडिका-1(10), 2(10) तथा संकल्प के एपेन्डिक्स-1 की उप-कंडिका-(ii) में अंकित निदेशों के आधार पर किया जायेगा तथा शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय संकल्प संख्या-2693, दिनांक-27/08/2010 के द्वारा स्वीकृत वेतनमान में भुगतान किया जायेगा।

(v) विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत बने परिनियमों एवं राज्य सरकार के निर्देशों एवं न्यायादेशों के अनुसार नियुक्ति एवं प्रोन्नति में वाँछित अर्हता पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

(vi) तत्काल चतुर्थ चरण के नव अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं० 6098/97 में दिनांक 12.10.2004 को पारित आदेश के अनुपालन में केवल वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि एवं पेंशनादि का भुगतान किया जायगा जिनका नाम माननीय न्यायमूर्ति एस०सी० अग्रवाल कमीशन एवं न्यायादेश के आधार पर स्वीकृत पद या 30.04.86 तक अनुशंसित पद के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त किसी भी कर्म का भुगतान किया जाना अनियमित एवं गैर कानूनी होगा।

(vii) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 की धारा-(2) के अनुसार केवल ऐसे प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक काटि में माना जाना है जो, दिनांक 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर दिनांक 18.9.1975 तक बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा/सहमति से नियुक्त हुए थे।

(viii) शिक्षकेतर कर्मचारियों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिनांक 01.04.81 के पहले तथा 31.12.95 के बाद अनुमान्य नहीं है तथा इसमें राज्य कर्मियों के लिए निर्धारित सभी नियमों, बन्धेजों तथा अन्य सभी शर्तों का विश्वविद्यालय द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना है। इसमें किसी भी प्रकार का ढील या फेरबदल विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन शिक्षकेतर कर्मचारियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति का लाभ मिल चुका हो उन्हें नियमों के विपरीत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जायगा।

(ix) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-35 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार, परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान, किसी भी कर्म को उच्च स्तरीय पद के वेतनमान में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(x) स्वीकृत राशि का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर पर किये जाने के समय माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 5859/1996 में दिनांक 21.02.2000 तथा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 9839/2001 में दिनांक 16.10.2001 को पारित न्याय निर्णय, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट किया जा चुका है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस क्रम में विभागीय स्तर से निर्गत पत्र संख्या 2086 दिनांक 09.11.2012 में अंकित निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

5/2/14

(xi) पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 1674, दिनांक 16.08.2012 में अंकित निदेशों के आधार पर किया जायेगा।

(xii) विश्वविद्यालय से प्राप्त बजट की समीक्षा के क्रम में पूर्व वित्तीय वर्ष (2016-17) में की गयी गणना को ध्यान में रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष की गणना में भी मूलतः शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद या कार्यरत की संख्या, उनमें से जो कम हो को आधार बनाया गया है। अतः वेतनादि का भुगतान केवल स्वीकृत पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को ही किया जायेगा।

(xiii) राज्य सरकार ने हड़ताल की अवधि की अनुपस्थिति को विनियमित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 508 दिनांक 01.03.2012 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों के संदर्भ में पूर्व में लिए गए निर्णय "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त को अक्षुण्ण रखते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों/ अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की हड़ताल अवधि की अनुपस्थिति को भी असाधारण "अवैतनिक" अवकाश के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय संसूचित किया है। अतः राज्य सरकार के द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में शिक्षक/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की किसी प्रकार की हड़ताल अवधि के वेतनादि का भुगतान, उक्त अवधि के विनियमन में राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् ही किया जायेगा।

(xiv) बकाया सेवान्त लाभ के मद में स्वीकृत की जाने वाली राशि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर न्यायालयीय वादों से आच्छादित मामलों में किया जाए। तत्पश्चात अवशेष राशि से सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर अधिमान कम में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावे वेतनादि मद से भी वैसे मामले जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मियों को भुगतान करने का स्पष्ट न्यायादेश है, तो उन मामलों में भी उपलब्ध करायी गयी राशि से प्राथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

(xv) स्वीकृत की गयी नियमित रूप से भुगतेय सेवान्त लाभ की राशि में से देयता के पश्चात यदि राशि अवशेष रहती है तो विश्वविद्यालय के वैसे सेवानिवृत्त शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाये सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा सकेगा जो विश्वविद्यालय सेवा से विधिवत् रूप से नियुक्ति होकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्वीकृत पदों के विरुद्ध भुगतान अनुमान्य हो।

(xvi) उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्तों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा न केवल संबंधित विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान स्थगित किया जायेगा, बल्कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम-1976 की धारा-35(3) तथा 52(3) तथा अन्य विश्वविद्यालयों के मामले में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-35(3) एवं 52(6) के अन्तर्गत अनुमान्यता से

1/2/14

अधिक भुगतान की गयी राशि संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई की जायेगी एवं उनके विरुद्ध न केवल प्रशासनिक कार्रवाई बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

4. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त होने के पश्चात् आगे स्वीकृत की जानेवाली राशि विमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का भी प्रमाण-पत्र दिये जाने की आवश्यकता होगी, कि विधिसम्मत रूप से कार्यरत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर अनुमान्य वेतनादि का भुगतान किया गया है।

5. विभागीय पत्रांक 15/एम-1-118/2001 उ0शि0-425, दिनांक 15.03.2002 तथा पत्रांक-809, दिनांक-18.06.2003 के द्वारा विश्वविद्यालय एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के सम्पूर्ण वार्षिक लेखे का अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। इसके आलोक में वार्षिक लेखा का अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-10(6) में विश्वविद्यालय कुलपति को मात्र स्वीकृत पद पर नियुक्ति का अधिकार है। अतः अनुकम्पा के आधार पर स्वीकृत एवं रिक्त मौलिक पद पर की गयी नियुक्ति विधि ही मान्य है। वर्णित स्थिति में स्वीकृत की जा रही राशि की गणना हेतु, स्वीकृत बल या कार्यरत बल, इसमें से जो भी कम हो को आधार बनाया गया है। विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना है कि जो व्यक्ति स्वीकृत पद पर कार्यरत नहीं है तथा जिनकी सेवा का सामंजन न्यायादेश के आलोक में विधिवत रूप से नहीं किया गया है, उनकी सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किये जाने की कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा की जाए। अनियमित तथा अवैध रूप से कार्यरत व्यक्तियों के वेतनादि के भुगतान की किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर नहीं होगी।

7. शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-वे0स0को0 4657/2013-57 दिनांक 13.02.15 में दिए गये निदेश के अनुपालन में वैसे शिक्षक, जिनका वेतन सत्यापन हेतु आवेदन वेतन सत्यापन कोषांग को प्राप्त नहीं कराया गया है, को उनके मूल वेतन की 25 प्रतिशत राशि की कटौती कर उन्हें वेतन भुगतान किया जायगा।

विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान हेतु पूर्ण राशि विमुक्त की जा रही है। जिन शिक्षकों के वेतन से कटौती की जा रही है, उन शिक्षकों के लिए स्वीकृत/विमुक्त राशि विश्वविद्यालय कोष में सुरक्षित रखी जायेगी।

८-२०१६

8. सेवा निवृत्ति लाभ के मद में भुगतान के समय विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि त्रिलाभ योजना के अधीन विभागीय राज्यादेशों एवं परिनियम में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल किसी सेवानिवृत्त शिक्षक को सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।
09. राज्य के सभी विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत राशि एवं इससे संबंधित विवरणी को आवश्यकतानुसार शिक्षक/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि मद में स्वीकृत एवं कर्णांकित की गई राशि में आवश्यक परिवर्तन एवं आवश्यकतानुसार न्यायादेश के अनुपालन हेतु विभाग द्वारा यथा आवश्यक निदेश भी दिया जा सकेगा।
10. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग एवं राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इस स्वीकृत राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. वित्त विभाग के पत्रांक-7355(2) दिनांक-05.10.2007, पत्र संख्या-5374 दिनांक 19.06.2015 तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक0) के पत्रांक-टी0एम0 11-877-907 दिनांक-08.11.2007 के आलोक में स्वीकृत की जानेवाली कुल राशि रुपये 769,82,46,926/- (सात सौ उनहत्तर करोड़ बयासी लाख छियालीस हजार नौ सौ छब्बीस) की विमुक्ति निदेशक, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार की जायेगी तथा उसकी निकासी विकास भवन अवस्थित सचिवालय कोषागार से BTC-42 पर सेवा शीर्ष से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर करने हेतु अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जायेगा।
12. राशि की निकासी निदेशक, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार की जाएगी तथा इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय के स्टेट बैंक खाता में उपलब्ध करा दी जायेगी। इस राशि की निकासी पटना सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना से आवंटन आदेश निर्गत किये जाने के पश्चात् होगी।
13. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिपरिषद् की दिनांक 23.01.2018 की बैठक में दी गयी स्वीकृति एवं संचिका संख्या 15/जी 1-01/2017 में पृष्ठ 35/टि0 पर दिनांक 25.01.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(अरशद फिरोज)
उप सचिव

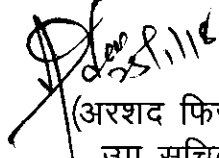
ज्ञापांक 15/जी 1-01/2017 94

पटना, दिनांक 29/1/18

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/आय-व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी-09, वित्त विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा

पदाधिकारी-05, 14 एवं 15/लेखापाल, उच्च शिक्षा तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दें।


(अरशद फिरोज)
उप सचिव
02/11/20

मा. अ.